



2026:AHC:58393

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9489 / 2026

मोअज़म

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मयूरी मेहरोत्रा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मयूरी मेहरोत्रा की ओर से पक्ष रख रही सुश्री अंबरिन, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

2. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़ के केस अपराध संख्या 0044/2026 (धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 308(5), 352, 351(2) बी.एन.एस., 2023) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में आवेदक के विरुद्ध आरोप है कि उसने प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र का परिचय सह-अभियुक्त शादाब से कराया था, जिसने बाद में प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 5,30,400/- रुपये भी ऐंठ लिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. में उल्लिखित लेन-देन में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में कोई आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है, फिर भी उसे केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि न तो आवेदक के खाते में कोई राशि जमा हुई है और न ही आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप लगाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 29.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **मोअज़म** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित रहेगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंध पत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की प्रति के आधार पर इस वचन पत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, संदर्भ : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससीसी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ई-मेल या ई-**

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

20 मार्च, 2026

सीएस/-

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।